14

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 131/2020

सलीम खान पुत्र आमीन खान, निवासी एच–80, इन्दिरा नगर, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 17.12.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 12.11.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 131/2020 पर दिनांक 12.11.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/2009–2010 दिनांक 12.11.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2020/122–123 दिनांक 15.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा किये गये आवेदन की प्रतिलिपि, पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 24.09.2014 व उस पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल चाही है जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/119 दिनांक 14.12.2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के पत्रांक आरटीआई/2020/122–123 दिनांक 15.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा किये गये आवेदन की प्रतिलिपि, पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 24.09.2014 व उस पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल चाही है जिसकी सूचना प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/119 दिनांक 14.12.2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं